For website.

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, प्रथम तल, वल्लभ भवन–3, भोपाल–462004
दूरभाष–0755–2708598

क्रमांक एफ 3/1/2/0016/2023/2/34 भोपाल, दिनांक 28 JAN 2025

प्रति,

1– समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
2– समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश
3– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
4– समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश
5– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
6– समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश

विषयः– खुले नलकूपों में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम–2024 तथा इन नियमों को विनियमित करने हेतु नियमों के संबंध में।

संदर्भः–(1) म.प्र. राजपत्र में दिनांक 21.8.2024 को प्रकाशित मध्यप्रदेश खुले नलकूपों में इंसानों के गिरने से होनेवाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम–2024.

(2) मध्यप्रदेश खुले नलकूपों में इंसानों के गिरने से होनेवाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम–2024 के नियमों को विनियमित करने हेतु म.प्र.राजपत्र में प्रकाशित नियम दिनांक 15.1.2025.

–0–

प्रदेश में खुले नलकूपों में इंसानों के गिरने से होनेवाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये **"म.प्र. खुले नलकूपों में इंसानों के गिरने से होनेवाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम 2024"** म.प्र. राजपत्र में दिनांक 21.8.2024 को प्रकाशित किया गया है एवं इस अधिनियम को विनियमित करने के लिये **"म.प्र. खुले नलकूपों में इंसानों के गिरने से होनेवाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा नियम–2024"** का राजपत्र में दिनांक 15.1.2025 को प्रकाशन किया गया है। अधिनियम/नियम के अंतर्गत नलकूप/बोरवेल की ड्रिलिंग के संबंध में भूमिका एवं उत्तरदायित्व, खुले बोरवेल/नलकूप पाये जाने पर शिकायत एवं उसके समाधान की प्रक्रिया तथा नियमों के उल्लंघन पर शास्ति तथा अपील प्रावधानों का वर्णन है।

उपरोक्त अधिनियम/नियम के प्रावधानों के माध्यम से खुले बोरवेल/नलकूप पाये जाने पर ड्रिलिंग एजेंसी एवं भूमिस्वामी के उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये हैं एवं अधिनियम/नियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करवाये जाने तथा अपील प्रक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकारी नियत किये गये हैं। उक्त अधिनियम एवं नियमों की प्रतियां संलग्न कर अनुरोध है कि खुले बोरवेल/नलकूपों से होनेवाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(पी. नरहरि)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

No. 170 AD (GSY)
Date 31/01/25

No. 510 29 JAN 2025
Dated 30.01.25

पृ.क्रमांक एफ 3/1/2/0016/2023/2/34 भोपाल, दिनांक 28 JAN 2025

1— आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र., भोपाल।
2— प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल।
3— क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू—जल बोर्ड, भोपाल।
4— संचालक, कृषि किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग।
5— प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन, बाणगंगा, भोपाल।
6— प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, म.प्र., भोपाल।
7— प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र., भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025—पौष 27, शक 1946

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2025

क्र.-3-1-0016-2023-TECH-चौंतीस (PHE).—मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, खुले बोरवेल और ट्यूबवेल में गिरने वाले व्यक्तियों की दुर्घटना से सुरक्षा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा नियम, 2024 है.

(ख) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(ग) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, 2024;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची के कॉलम (4) में यथा—उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी;

(ग) "ड्रिलिंग ऐजेन्सी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या प्राधिकृत व्यक्ति या कोई फर्म (जिसमें शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिकरण (ऐजेन्सी) सम्मिलित है, जो यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा बोरवेल / ट्यूबवेल की खुदाई (ड्रिलिंग) के कार्य अंतर्ग्रस्त हो,

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन,

(ड.) **"भूमि स्वामी"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 158 में भूमि स्वामी के रूप में निर्दिष्ट कोई भूमि स्वामी;

(च) **"स्थानीय शासन"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के अधीन गठित नगरीय स्थानीय निकाय, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन गठित नगरपालिका तथा नगर परिषद् और मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत जैसी पंचायती राज संस्थाएं;

(छ) **"पुरुष"** से अभिप्रेत है, किसी भी आयु का कोई पुरुष और **"महिला"** से अभिप्रेत है, किसी भी आयु की कोई महिला;

(ज) **"खुला ट्यूबवेल / बोरवेल"** से अभिप्रेत है, ऐसा ट्यूबवेल या बोरवेल जो अधिनियम के अधीन बनाए गए इन नियमों में उल्लिखित किए गए अनुसार ढंका हुआ या पूर्णतः बंद न हो तथा खुला रखा गया हो और जिससे घातक दुर्घटना का खतरा उत्पन्न करता हो;

(झ) **"व्यक्ति"** से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, कोई कम्पनी या संथा या व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं;

(ञ) **"सार्वजनिक उपद्रव"** का वही अर्थ होगा जैसा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 270 में परिभाषित किया गया है;

(ट) **"संहिता"** से अभिप्रेत है, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45);

(ठ) **"ट्यूबवेल या बोरवेल"** से अभिप्रेत है, भूमि में नीचे पानी खीचने के लिए अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए, यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा जल के लिए, खोदा गया, केसिंग पाइप युक्त या उसके बिना कोई संकीर्ण तथा गहरा कुँआ;

(ड) **"पीडित"** से अभिप्रेत है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 2 के खण्ड (म) के अधीन यथा परिभाषित कोई व्यक्ति;

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो यहां इसमें प्रयोग में लाई गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, परंतु जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46), मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (1958 का 3) में परिभाषित की गई हैं, क्रमशः वहीं अर्थ होगा जैसा कि इन अधिनियमों में उनके लिए समनुदेशित किया गया है.

3. ड्रिलिंग ऐजेंसी के उत्तरदायित्व.–

(1) ड्रिलिंग ऐजेंसी पर लागू उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात्:–

(क) ड्रिलिंग एजेंसी, किसी बोरवेल / ट्यूबवेल की ड्रिलिंग के पूर्व अनुज्ञा–पत्र (परमिट जनित) करने के उद्देय से इस प्रयोजन के लिए बनाए गए सरकारी पोर्टल में ब्यौरे प्रविष्ट करेगी;

(ख) सरकारी एजेंसियां, बोरवेल / ट्यूबवेल की ड्रिलिंग के पूर्व इस प्रयोजन के लिए बनाए गए सरकारी पोर्टल में ब्यौरे प्रविष्ट करेंगी.

(ग) शासकीय पोर्टल पर ड्रिलिंग एजेंसी के लिए अनुज्ञा–पत्र (परमिट जनित) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संबंधित कार्यपालन यंत्री या ऐसा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा.

(2) ड्रिलिंग एजेंसी के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

(एक) ड्रिलिंग एजेंसी पोर्टल पर,-

(क) समस्त प्रयोज्य ब्यौरों के साथ ड्रिलिंग की तारीख और समय अद्यतन करें;

(ख) ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान किए गए सुरक्षा उपायों की जियो-टैग तस्वीरें;

(ग) ड्रिलिंग के पूर्ण होने के पश्चात् जियो-टैग फोटो अपलोड करें, जिसमें गहराई, परिणाम, कार्यक्षमता आदि जैसे ब्यौरे सम्मिलित हैं;

(घ) असफल ट्यूबवेल/बोरवेल की दशा में, उचित रूप से सीलबंद किए गए/ ढंके गए ट्यूबवेल/बोरवेल की जियो टैग फोटो अपलोड करेगी।

(दो) ड्रिलिंग एजेंसी निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय करेगी,-

(एक) निर्माण कार्य के समय ड्रिलिंग स्थल के पास निम्नलिखित विवरणों के साथ साइनबोर्ड लगाना:-

(क) ड्रिलिंग एजेंसी का पूरा पता, जिसमें संपर्क नंबर सम्मिलित है;

(ख) भू-स्वामी का पूरा पता, जिसमें सम्पर्क नम्बर सम्मिलित है।

(दो) निर्माण के दौरान ड्रिलिंग स्थल के चारों और कांटेदार तार की बाड या कोई अन्य उपयुक्त अवरोध लगाना;

(तीन) केसिंग पाइप के चारों ओर 0.50x0.50x0.60 मीटर माप के सीमेंट/कंक्रीट, प्लेटफॉर्म का निर्माण (भूमि की सतह के स्तर से 0.30 मीटर ऊपर और भूमि की सतह के स्तर से 0.30 मीटर नीचे);

(चार) कार्य की पूर्णता के पश्चात् मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरना;

(पाँच) असफल ट्यूबवेल/बोरवेल को नीचे से भूमि की सतह स्तर तक मिट्टी/रेत/पत्थर/कंकड़/ड्रिल कटिंग आदि से पूर्णतः भरना;

(छह) किसी विशेष स्थल पर ड्रिलिंग संक्रिया के पूर्ण होने पर भूमि की सतह स्थिति ड्रिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व जैसी की जाए;

(सात) स्टील प्लेट के वेल्डिंग द्वारा या बोल्ट और नट से केसिंग पाइप पर मजबूत ढक्कन लगाकर केसिंग पाइप से बंद करना।

4. भूमिस्वामी का उत्तरदायित्व.- पुराने/ अक्रियाशील/असफल/अधूरे बोरबेल/ ट्यूबवेल के संबंध में भूमिस्वाामी/ड्रिलिंग एजेंसी के उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे:-

(एक) कार्य की पूर्णता के पश्चात् मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरना;

(दो) असफल ट्यूबवेल/बोरवेल को नीचे से भूमि की सतह के स्तर तक मिट्टी/रेत/पत्थर/कंकड़/ड्रिल कटिंग आदि से भरना;

(तीन) किसी विशेष स्थल पर ड्रिलिंग संक्रिया के पूर्ण होने पर, भूमि की स्थिति को ड्रिलिंग के प्रारंभ होने के पूर्व जैसी की जाए;

(चार) स्टील प्लेट के वेल्डिंग द्वारा या बोल्ट और नट से केसिंग पाइप पर मजबूत ढक्कन लगाकर केसिंग पाइप से बंद करना;

(पाँच) केसिंग पाइप के चारों ओर 0.50x0.50x0.60 मीटर माप के सीमेंट/कंक्रीट प्लेटफॉर्म का निर्माण (भूमि की सतह के स्तर से 0.30 मीटर ऊपर और भूमि की सतह के स्तर से 0.30 मीटर नीचे)।

5. रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया.- रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(एक) शिकायतकर्ता/रिपोर्टकर्ता व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए बनाए गए सरकारी पोर्टल में विवरणों की प्रविष्टि करेगा;

(दो) शिकायतकर्ता/रिपोर्टकर्ता, सक्षम प्राधिकारी को लिखित शिकायत दे सकेगा ;

(तीन) शिकायत के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी या उसका प्रतिनिधि, स्थल का तुरंत भ्रमण करेगा;

(चार) निरीक्षण पर, यदि ट्यूबवेल/बोरवेल खुला पाया जाता है, तो भूमिस्वामी/ड्रिलिंग ऐंजेसी को इसे ढक्कन लगाने/सीलबंद करने के लिए तुरंत अनुदेश देगा;

(पांच) भूमि स्वामी/ ड्रिलिंग ऐंजेसी के ट्यूबवेल / बोरवेल को तुरंत न ढकने/ सीलबंद करने की दशा में सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 5 और 7 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ट्यूबवेल / बोरवेल को तुरंत ढकेगा / सीलबंद करेगा;

(छह) यदि शिकायत सत्य पाई जाती है, तो शिकायत करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसमें अर्न्तनिहित चूक के स्तर और उसमें अर्न्तनिहित खतरे के स्तर को विचार में लेते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।

6. अपील.- इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति, 30 दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसके कि आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी अधीनस्थ है।

अनुसूची
(नियम 6 देखिए)

अनुक्रमांक	धारा	क्षेत्र	सक्षम प्राधिकारी
1.	धारा 5	ग्रामीण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी
		नगरीय	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/आयुक्त, नगरपालिक निगम या मुख्य कार्यपालन अधिकारी/आयुक्त, नगरपालिक निगम द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी
2.	धारा 6	ग्रामीण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी
		नगरीय	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/आयुक्त, नगरपालिक निगम या मुख्य कार्यपालन अधिकारी/आयुक्त, नगरपालिक निगम द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी
3.	धारा 9	ग्रामीण	कलेक्टर
		नगरीय	
4.	धारा 10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 और 6 के अधीन पारित आदेश	कलेक्टर
		आयुक्त, नगरपालिक निगम द्वारा अधिनियम की धारा 5 और 6 के अधीन पारित आदेश	
		अधिनियम की धारा 9 के अधीन पारित आदेश	संभागीय आयुक्त

No.-3-1-0016-2023-TECH-XXXIV-(PHE)

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Madhya Pradesh Khule Nalkup Mein Insanno Ke Girne Se Hone Wali Durghatnao Ki Rokthaam Evam Suraksha Adhiniyam, 2024 (No. 15 of 2024), the State Government, hereby, makes the following rules to regulate the protection from accident of persons falling into open borewell and tubewell, namely:-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.-**

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Khule Nalkup Mein Insanno Ke Girne Se Hone Wali Durghatnao Ki Rokthaam Evam Suraksha Niyam, 2024.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Madhya Pradesh Khule Nalkup Mein Insaano Ke Girne Se Hone Wali Durghatnao Ki Rokthaam Evam Suraksha Adhiniyam, 2024 (No. 15 of 2024);

(b) **"Competent Authority"** means competent authority as mentioned in column (4) of the Schedule;

(c) **"Drilling Agency"** means a person or authorized person or a firm (including Government/Semi-Government agency) which is involved in the work of drilling borewell/tubewell by mechanical or other means;

(d) **"Government"** means the Government of Madhya Pradesh;

(e) **"Landowner"** means a landowner referred to as Bhumi Swami in section 158 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(f) **"Local Government"** means the Urban Local Bodies constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Municipalities and the Municipal Council constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and Panchayati Raj Institutions like Gram Panchayat, Janpad Panchayat and Zila Panchayat constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(g) **"Man"** means a male human being of any age and **"Woman"** means a female human being of any age;

(h) **"Open Tubewell/Borewell"** means a Tubewell or Borewell which is not covered or sealed completely as mentioned in these rules made under the Act and kept open as it poses a threat to fatal accident;

(i) **"Person"** means and includes any company or association or person or body of persons, whether incorporated or not;

(j) **"Public nuisance"** shall have the same meaning as defined in section 270 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023);

(k) **"Sanhita"** means Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023);

(l) **"Tube well or borewell"** means a narrow and deeper well drilled for water in the ground by mechanical or other means with or without casing pipe to draw water or for other purposes in the earth underground;

(m) **"Victim"** means a person as defined under clause (y) of section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023).

(2) Words and expressions used herein but not defined in these rules, but defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and the General Clauses Act, 1957 (No. 3 of 1958) shall have the same meanings respectively as assigned to them in these Acts.

3. **Responsibility of the drilling agency.-** (1) To fulfil the responsibility ensued upon drilling agency, the following procedure shall be adopted, namely:-

(a) drilling agency shall enter the details in the Government portal meant for this purpose in order to generate permit before drilling a bore well/tube well;

(b) Government agencies shall enter the details in the Government portal meant for this purpose before drilling a bore well/tube well;

(c) permit for the drilling agency on the Government portal shall be issued by the respective Executive Engineer, Public Health Engineering Department or by the person authorized to do so.

(2) The procedure for the drilling agency are as follows:-

(i) the drilling agency shall on the portal-

(a) update the date and time of drilling with all applicable details;

(b) geo-tag photos of safety measures taken during drilling process;

(c) upload geo-tag photos after completion of drilling including the details such as depth, yield, functionality etc.;

(d) in case of unsuccessful tubewell/borewell, shall upload geo-tag photos of properly sealed/capped tubewell/borewell.

(ii) Drilling agency shall take following precautionary measures-

(i) erection of signboard at the time of construction near the drilling site with the following details:-

(a) complete address of the drilling agency including contact number;

(b) complete address of the Landowner including contact number.

(ii) erection of barbed wire fencing or any other suitable barrier around the drilling site during construction;

(iii) construction of cement/ concrete platform measuring 0.50x0.50x0.60 meter (0.30 meter above ground level and 0.30 meter below ground level) around the casing pipe;

(iv) filling of mud pits and channels after completion of works;

(v) filling up unsuccessful tubewells/borewells by clay/ sand/ boulders/ pebbles/ drill cuttings etc. from bottom to ground level duly compacted;

(vi) on completion of the drilling operations at a particular location, the ground conditions are to be restored as before the start of drilling;

(vii) capping of casing pipe by welding steel plate or by providing a strong cap to be fixed to the casing pipe with bolts and nuts.

4. **Responsibility of Landowner.-** The responsibility of landowner/drilling agency regarding old/non-functional/failed/unfinished borewell/tubewell shall be as follows:-

(i) filling of mud pits and channels after completion of works;

(ii) filling up unsuccessful tubewells/borewells by clay/ sand/boulders/pebbles/ drill cuttings etc. from bottom to ground level duly compacted;

(iii) on completion of the drilling operations at a particular location, the ground conditions are to be restored as before the start of drilling;

(iv) capping of casing pipe by welding steel plate or by providing a strong cap to be fixed to the casing pipe the bolts and nuts.

(v) construction of cement/ concrete platform measuring 0.50x0.50x0.60 meter (0.30 meter above ground level and 0.30 meter below ground level) around the casing pipe.

5. **Procedure for reporting.-** The procedure for reporting shall be as follows:-

(i) complainant/ reporting person shall enter the details in Government portal meant for this purpose;

(ii) complainant/ reporting person may give written complaint to the competent authorities;

(iii) on receiving the complaint, the competent authority or his representative shall visit the site immediately;

(iv) upon the inspection, if tubewell/borewell is found to be open shall instruct landowner/drilling agency to immediately cap/seal the same;

(v) in case landowner/drilling agency does not immediately cap/seal the tubewell/borewell the competent authority shall cap/seal the open tubewell/borewell under section 5 and 7 of the Act and the rules made thereunder;

(vi) if the complaint is found to be true, then person making the complaint shall be given a reward, which shall be ascertained by the competent authority, taking into consideration the level of lapses involved and the amount of threat involved.

6. **Appeal.-** Any person aggrieved by the orders passed under this Act may, within a period of 30 days, prefer an appeal against the order passed by the competent authority to the authority mentioned in the Schedule to whom the authority passing the order is subordinate.

SCHEDULE
(see rule 6)

S.No.	Section	Area	Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Section 5	Rural	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat or any officer authorized by Chief Executive Officer, Janpad Panchayat
		Urban	Chief Municipal Officer/Commissioner, Municipal Corporation or any officer authorized by the Chief Municipal Officer/Commissioner, Municipal Corporation
2.	Section 6	Rural	Chief Executive Officer, Janpad Panchayat or any officer authorized by the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat
		Urban	Chief Municipal Officer/Commissioner, Municipal Corporation or any officer authorised by the Chief Municipal Officer/Commissioner, Municipal Corporation
3.	Section 9	Rural	Collector
		Urban	
4.	Section 10	Order passed under section 5 and 6 of the Act, by the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat/Chief Municipal Officer	Collector
		Order passed under section 5 and 6 of the Act, by the Commissioner, Municipal Corporation	
		Order passed under section 9 of the Act	Divisional Commissioner

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेष कुमार जैन, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुदित तथा प्रकाशित—2025.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 अगस्त 2024—श्रावण 30, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024

क्र. 12618—157—इक्कीस—अ(प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १५ सन् २०२४

मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, २०२४

विषय-सूची

धाराएं :

अध्याय-एक
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

अध्याय-दो
नलकूपों या बोरवेलों को ड्रिल करने के लिए भूमिका, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाएं

३. ड्रिलिंग अभिकरण का उत्तरदायित्व.

४. भूमि स्वामी/ड्रिलिंग अभिकरण का पुरानी / गैर क्रियाशील / असफल / अपूर्ण नलकूप या बोरवेल का उत्तरदायित्व.

५. सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.

अध्याय-तीन
खुले बोरवेल या नलकूप के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

६. किसी सरकारी पदधारी द्वारा कोई कार्रवाई करने की शक्ति.

७. खुले बोरवेल या नलकूप पर कैप लगाया जाना.

८. ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि-स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन का रजिस्ट्रीकरण.

अध्याय-चार
अपराध तथा शास्तियां

९. अपराध तथा शास्तियां.

अध्याय-पांच
अपील

१०. अपील.

अध्याय-छह
प्रकीर्ण उपबंध

११. संक्रमण कालीन उपबंध.

१२. नियम बनाने की शक्ति.

१३. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०२४

मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, २०२४

[दिनांक १६ अगस्त, २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २१ अगस्त, २०२४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

खुले बोरवेल या नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली घटनाओं या जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यदि बोरवेल/नलकूप के ड्रिलिंग के समय ड्रिलिंग अभिकरण द्वारा समुचित सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जाते हैं तो ड्रिलिंग अभिकरण के विरूद्ध विचारित कार्रवाई करने के साथ ही, लापरवाह ड्रिलिंग अभिकरण और भूमि स्वामी के विरूद्ध दाण्डिक कार्रवाई करने तथा उससे संसक्त तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक
प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, २०२४ है. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. (१) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं.

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में यथाविहित सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित व्यक्ति;

(ख) ''ड्रिलिंग अभिकरण'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या प्राधिकृत व्यक्ति या कोई फर्म (जिसमें शासकीय या अर्ध-शासकीय अभिकरण सम्मिलित हैं), जो मशीनी रूप में या अन्य साधनों से बोरवेल/नलकूप ड्रिलिंग के काम में लगा हुआ है;

(ग) ''भूमि स्वामी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा १५८ में भूमि स्वामी के रूप में वर्णित कोई भूमि स्वामी;

(घ) ''स्थानीय शासन'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित शहरी स्थानीय निकाय (यू एल बी), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित नगर पालिका परिषद्, नगर परिषद् तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाएं (पी आर आई);

(ङ) ''पुरूष'' से अभिप्रेत है, किसी भी आयु का पुरूष मानव तथा ''महिला'' से अभिप्रेत है, किसी भी आयु की महिला मानव;

(च) ''खुला नलकूप या बोरवेल'' से अभिप्रेत है, ऐसा नलकूप या बोरवेल जो इस अधिनियम की अधीन बनाए गए नियमों में यथा विहित ढका हुआ नहीं है या सील नहीं किया गया है तथा खुला पड़ा है, जिससे जानलेवा दुर्घटना का डर है;

(छ) ''व्यक्ति'' में कोई कंपनी या संगम या वैयक्तिक निकाय सम्मिलित है, चाहे निगमित हो अथवा नहीं;

(ज) ''लोक उपताप'' संहिता की धारा २६८ में यथा परिभाषित;

(झ) ''नियम'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;

(ञ) ''संहिता'' से अभिप्रेत है, भारतीय न्याय संहिता (२०२३ का ४५)

(ट) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ठ) ''नलकूप या बोरवेल'' से अभिप्रेत है, जमीन में जल के लिए मशीन या अन्य माध्यम से आवरण पाइप के साथ या उसके बिना खोदा गया संकरा और गहरा कुआं जो भूमि के अंदर से जल निकालने या अन्य प्रयोजन के लिए हो;

(ड) ''पीड़ित'' से अभिप्रेत है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (२०२३ का ४६) की धारा २ की उपधारा (म) में यथा परिभाषित पीड़ित व्यक्ति;

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं परन्तु भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (२०२३ का ४५), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (२०२३ का ४६), मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९), या सामान्य खण्ड अधिनियम, १९५७ (१९५८ का ३) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो कि क्रमशः उन अधिनियमों में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं.

अध्याय-दो

नलकूपों या बोरवेलों को ड्रिल करने के लिए भूमिका, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाएं

ड्रिलिंग अभिकरण के उत्तरदायित्व.

३. (१) ड्रिलिंग अभिकरण, कोई बोरवेल नलकूप की ड्रिलिंग के पूर्व नियमों में यथा विहित वेब पोर्टल पर डाटा भरने के पश्चात् बोरवेल/नलकूप ड्रिल करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा.

(२) ड्रिलिंग अभिकरण, ड्रिलिंग स्थल पर ड्रिलिंग अभिकरण और भूमि स्वामी के बारे में पूर्ण ब्यौरे प्रदर्शित करेगा और ड्रिलिंग के दौरान और उसके पूर्ण होने के बाद नियमों में यथा विहित सुरक्षात्मक उपाय करेगा.

भूमि स्वामी / ड्रिलिंग अभिकरण का पुरानी / गैर-क्रियाशील / असफल / अपूर्ण बोरवेल / नलकूप के लिए उत्तरदायित्व.

४. (१) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक को कोई निष्क्रिय बोरवेल/नलकूप, इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक से ३ मास की कालावधि के भीतर उस भूमि स्वामी द्वारा जिसकी भूमि पर बोरवेल/नलकूप अवस्थित है, बंद कर दी जाएगी.

(२) कोई चालू बोरवेल/नलकूप जिसने काम करना बंद कर दिया है, भूमि स्वामी द्वारा नियमों में यथा विहित प्रक्रिया अनुसार कैप कर दी जाएगी.

(३) बोरवेल/नलकूप के,-

(एक) असफल होने; या

(दो) अपूर्ण रहने

की दशा में ड्रिलिंग अभिकरण नियमों में विहित किए गए अनुसार बोरवेल/नलकूप को कैप कर देगा/बंद कर देगा.

(४) धारा ४(१), (२) तथा (३) के किसी उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा ९ में विहित उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी.

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां.

५. सक्षम प्राधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी,-

(एक) बोरवेल/नलकूप के क्षेत्र में प्रवेश करना;

(दो) दुर्घटनाओं से रोकथाम के उपाय करना;

(तीन) खुले बोरवेल/नलकूप के स्थल पर किए गए सुरक्षा उपबंधों की जांच करना;

(चार) लापरवाही के कारण किसी दुर्घटना/घटना की दशा में श्रमिक और मशीनरी लगाना.

अध्याय-तीन

खुले बोरवेल या नलकूप के विरूद्ध शिकायत के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

शासकीय पदधारी द्वारा कार्रवाई करने की शक्ति.

६. (१) कोई शासकीय पदधारी खुले बोरवेल या नलकूप के संबंध में स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त होने पर संज्ञान ले सकेगा.

(२) प्रतिवेदन और/या शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित शासकीय पदधारी, नियमों में विहित की गई रीति में उस प्रादेशिक क्षेत्र, जिसमें बोरवेल/नलकूप स्थित है, के सक्षम प्राधिकारी को मामले की रिपोर्ट देगा.

(३) यदि शिकायत सत्य पाई जाती है तो शिकायतकर्ता, नियमों में यथा विहित, पुरस्कार के लिए पात्र होगा.

खुले बोरवेल या नलकूप पर कैप लगाया जाना.

७. भूमि स्वामी या ड्रिलिंग अभिकरण के यथास्थिति धारा ४ या सक्षम प्राधिकारी के निदेशों के अनुसार कार्य करने में असफल रहने की दशा में खुले बोरवेल/नलकूप को कैप करने में उपगत व्यय, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ के अधीन भू-राजस्व के बकाया की वसूली के उपबंधों के अनुसार वसूला जाएगा.

ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन का रजिस्ट्रीकरण.

८. इस अधिनियम की धारा ४ में यथा उल्लिखित, ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी की ओर से की गई उपेक्षा के कारण कोई दुर्घटना हो जाने की दशा में, ऐसे ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ आई आर) रजिस्ट्रीकृत की जाएगी.

अध्याय-चार

अपराध तथा शास्तियां

अपराध तथा शास्तियां.

९. (१) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा ४ में उल्लिखित किन्हीं उपबंध का उल्लंघन करता है, तब सक्षम प्राधिकारी संबंधित ड्रिलिंग अभिकरण/भूमि स्वामी को सुरक्षात्मक उपाय करने के निदेश देते हुए नोटिस जारी करेगा और ड्रिलिंग अभिकरण भूमि स्वामी के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में सक्षम प्राधिकारी, प्रथम अपराध के लिए रूपए १०००० तक (रूपए दस हजार केवल) की और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए रूपए २५००० तक (रूपए पच्चीस हजार केवल) का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा.

(२) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा ४ में उल्लिखित किन्हीं उपबंधों का उल्लघंन करता है जिससे कोई दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है, तब वह दोषसिद्धि पर संहिता की धारा १००, १०५, १०६ तथा ११० के अधीन, सुंसगत उपबंधों के अनुसार दण्डित किया जाएगा.

(३) दुर्घटना के दौरान किसी व्यक्ति के बचाव के लिए उपगत व्यय, ड्रिलिंग अभिकरण या भूमि स्वामी से नियमों में विहित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ के अधीन भू राजस्व की बकाया की वसूली के उपबंधों के अनुसार, वसूल किया जाएगा.

अध्याय-पांच

अपील

अपील.

१०. इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ३० दिन की कालावधि के भीतर नियमों में यथा विहित अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संस्थित कर सकेगा.

अध्याय-छह

प्रकीर्ण उपबंध

संक्रमण कालीन उपबंध.

११. बोरवेल और नलकूप की ड्रिलिंग, संचालन तथा अनुरक्षण के उपबंधों के संबंध में राज्य सरकार के स्थानीय निकाय या पंचायत विभाग द्वारा बनाई गई उपविधियां इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने तक प्रवर्तन में रहेंगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बना लिए जाते.

नियम बनाने की शक्ति.

१२. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु नियम, विनियम और उपविधियां बना सकेगी.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१३. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जैसा कि कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024

क्र. 12618—157—इक्कीस—अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
NO. 15 OF 2024

THE MADHYA PRADESH KHULE NALKUP MEIN INSAANO KE GIRNE SE HONE WALI DURGHATNOA KI ROKTHAAM EVAM SURAKSHA ADHINIYAM, 2024

TABLE OF CONTENTS

Sections:

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II
ROLE, RESPONSIBILITIES AND PROCEDURES FOR DRILLING TUBEWELLS OR BOREWELLS

3. Responsibility of the drilling agency.
4. Responsibility of landowner/ drilling agency regarding old/non-functional /failed/unfinished borewell/ tubewell.
5. Power of the Competent Authority.

CHAPTER-III
PROCEDURE TO BE ADOPTED FOR RESOLVING THE COMPLAINTS AGAINST THE OPEN BOREWELL OR TUBEWELL

6. Power to take any action by government officials.
7. Capping of open borewell or tubewell.
8. Registration of first information report against drilling agency or landowner.

CHAPTER-IV
OFFENCES AND PENALTIES

9. Offences and penalties.

CHAPTER-V
APPEALS

10. Appeals.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS PROVISIONS

11. Transitory provisions.
12. Power to make rules.
13. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 15 OF 2024

THE MADHYA PRADESH KHULE NALKUP MEIN INSAANO KE GIRNE SE HONE WALI DURGHATNAON KI ROKTHAAM EVAM SURAKSHA ADHINIYAM, 2024

[Received the assent of the Governor on the 16th August, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 21st August 2024.]

An Act to prevent incidents or fatal accidents by human beings falling into an open borewell or tubewell, to take penal action against the negligent drilling agency and landowner, along with actions to be contemplated against the drilling agency, if proper safety measures are not adopted by the drilling agency at the time of drilling borewell/tubewell and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-fifth year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called The Madhya Pradesh Khule Nalkup Mein Insaano Ke Girne Se Hone wali Durghatnaon Ki Rokthaam Evam Suraksha Adhiniyam, 2024.

(2) It shall extend to the whole State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions.

2. (l) In this Act, unless the context otherwise requires: -

(a) "Competent Authority" means the person designated as the Competent Authority as prescribed in the rules made under this Act;

(b) "Drilling Agency" means a person or authorized person or a firm (including Government or Semi-Government Agency) which is involved in the work of drilling borewell/tubewell by mechanical or other means.

(c) "Landowner" means a landowner referred to as Bhumi Swami in Section 158 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code,1959 (No. 20 of 1959);

(d) "Local Government" means the Urban Local Bodies (ULBs) constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), Municipal Council, Nagar Parishad constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(e) "Man" and Women" means a male human being of any age and a "woman" means a female human being of any age;

(f) "open tubewell or borewell" means a tubewell or borewell which is not covered or sealed as prescribed in the rules made under this Act and kept open as it poses a threat to fatal accident;

(g) "person" includes any company, association or body of individuals, whether incorporated or not;

(h) "Public nuisance" as defined in Section 270 of the Sanhita,

(i) "Rules" means the rules made under this Act;

(j) "Sanhita" means Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023);

(k) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(l) "tubewell or borewell" means a narrow and deeper well drilled for water in the ground by mechanical or other means with or without casing pipe to draw water or for other purposes in the earth underground.

(m) "victim" means a person as defined under sub-section (y) of section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 (No. 46 of 2023);

(2) words and expressions used herein and not defined, but defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 (No. 45 of 2023), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 (No. 46 of 2023), the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) or the General Clauses Act, 1957 (3 of 1958) have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.

CHAPTER-II

ROLE, RESPONSIBILITIES AND PROCEDURES FOR DRILLING TUBEWELLS OR BOREWELLS

Responsibility of the drilling agency.

3.(1) Drilling agency, before drilling a bore well/ tube well, shall generate a permit to drill a borewell/tubewell after filling in the data on a web portal as prescribed in the rules.

(2) Drilling agency shall display at the drilling site, complete details regarding the drilling agency, and landowner and shall take all necessary precautionary measures during and after completion of drilling as prescribed in the rules.

Responsibility of landowner/ drilling agency regarding old/non-functional/ failed/ unfinished borewell/ tubewell.

4.(1) Any borewell/tubewell which is not in a working condition on the date on which this Act comes into force, shall be closed by the landowner, on whose land the borewell/tubewell is situated, within a period of 3 months from the date of applicability of this act.

(2) Any running borewell or tubewell that becomes non-functional must be capped by the landowner, as per the procedure prescribed in the rules.

(3) In case, the borewell/tube well after drilling :-

(i) fails, or

(ii) remains unfinished,

the drilling agency shall cap/close the borewell/tubewell as prescribed in the rules.

(4) Any contravention, with respect to section 04(1), (2) and (2) shall be dealt as per provision as prescribed under section 9 of the Act.

5. The competent authority shall have the power to,- **Powers of the competent authority.**

(i) to enter the area of the borewell/ tubewell;

(ii) to take measures to prevent accidents,

(iii) to verify the safety provisions made at the site of the open tubewell/borewell,

(iv) to deploy labour and machinery in case of any accident/mishappening due to negligence.

CHAPTER-III

PROCEDURE TO BE ADOPTED FOR RESOLVING THE COMPLAINTS AGAINST THE OPEN BOREWELL OR TUBEWELL

Power to take any action by Government officials.

6. (1) Any Government official may take cognizance of any Matter suo-moto or on the report or complaint made by any person regarding an open borewell or tubewell.

(2) On receiving the report and/or complaint, the concerned Government official shall report the matter to the competent authority of the territorial area in which the tubewell/ borewell is situated in the manner prescribed in the rules.

(3) If the complaint is found to be true, the complainant shall be eligible for a reward as prescribed in the rules.

Capping of open borewell or tubewell.

7. The expenditure incurred in capping open borewell/tubewell shall be recovered from the drilling agency or landowner as per the provisions for the recovery of arrears of land revenue under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, in case landowner or drilling agency, as the case may be, fails to act as per section 4 or directions of the competent authority.

Registration of first information report against drilling agency or landowner.

8. In case of the occurrence of any accident due to negligence on the part of the drilling agency or landowner, as mentioned under section 4 of this Act, First Information Report (FIR) shall be registered against such drilling agency or landowner.

CHAPTER-IV

OFFENCES AND PENALTIES

Offence and penalties.

9.(1) Whoever contravenes any of the provisions mentioned in section 4 of this Act, the competent authority shall issue notice to the concerned drilling agency/landowner with the direction to take corrective measures and in case the drilling agency/landowner fails to comply with the directions, then the competent authority may impose a fine upto Rupees 10,000/- (Ten thousand only) for the first offense and for each subsequent offence a fine upto Rupees 25,000/- (Twenty-five thousand only).

(2) Whoever contravenes any of the provisions mentioned in Section 4 of this Act which leads to any accident or death, then he shall be punished upon conviction, as per the relevant provisions under Sections 100, 105, 106 and 110 of the Sanhita.

(3) The expenditure incurred during the rescue of any person during the accident, shall be recovered from the drilling agency or landowner as prescribed in the rules as per the provisions for the recovery of arrears of land revenue under Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

CHAPTER-V

APPEALS

Appeals. 10. Any person aggrieved by the orders passed under this Act, may, within the period of 30 days, prefer an appeal before the appellate authority as prescribed in the rules.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Transitory provisions. 11. Any byelaws made by the Local Body or Panchayat Department of the State Government in relation to the provisions of drilling, operation, and maintenance of tubewell and borewell shall continue to remain in force to the extent they are not inconsistent with the provisions of this Act until rules are framed by the State Government under this Act.

Power to make rules. 12. The Government may, by notification in the Gazette, make rules, regulations, and bye-laws to carry out the purposes of this Act.

Power to remove difficulties. 13. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order publish, in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.